राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	351/2015 सुशीला देवी बनाम राजेश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक/लिखित बहस हेतु पत्रावली दिनांक 26/02/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
26/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है | अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 04/03/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी	
04/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य प्रार्थना पत्र संख्या 42/2010 व 32/2012 में समान पक्षकार एवं समान आराजी होने का अंकन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अन्य प्रार्थना पत्रों को इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के साथ हमफिता करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14/07/2015 पारित करते हुए उभयपक्ष को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमा दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीयां द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों का समुचित संज्ञान लेकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जिसमे कोई त्रुटी प्रतीत नही होती है | वाद के निस्तारण तक पक्षकारान के मध्य नवीन विवाद उत्पन्न होकर प्रकरण में पेचीदगीयां उत्पन्न नही हो, के मध्यनजर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित्त होता है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्यायोचित्त प्रतीत होता है | इसके अतिरिक्त अपील के स्तर पर अपीलार्थी प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक प्रतीत नही होता है | राजस्व अपील प्राधिकारी	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सुशीला देवी बनाम राजेश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14/07/2015 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर